



राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर

2,2ए झालाना डूंगरी, जयपुर

दूरभाष नं. 0141-2700540 फ़ैक्स 0141-2710362

Email: rstbsecy22@gmail.com

मण्डल में सेवानिवृत्त कार्मिकों की समेकित पारिश्रमिक पर आवश्यकता
विज्ञप्ति संख्या 209

राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल मुख्यालय जयपुर एवं जिला मुख्यालय स्थित वितरण केन्द्रों पर विभिन्न रिक्त पदों के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 08.02.2018 के अनुसार निर्धारित शर्तों एवं समेकित पारिश्रमिक पर कार्य करने हेतु विभिन्न राजकीय विभागों/बोर्ड /मण्डल/निगमों से सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों से दिनांक 09.11.2020 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

उक्त संबंध में रिक्त पदों का विवरण एवं ग्रेड-पे/लेवल तथा आवेदन पत्र मण्डल की वेबसाईट <http://education.rajasthan.gov.in/rstb> से डाउनलोड किया जा सकता है।

सचिव



राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर

2, 2ए, झालाना डूंगरी, जयपुर

दूरभाष नं. 0141-2700540 फ़ैक्स 0141-2710362

राजस्थान राज्य पाठपुस्तक मण्डल में सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों की सेवाएँ संविदा के आधार पर समेमित पारिश्रमिक पर लिये जाने हेतु आवेदन पत्र

आवेदित पद

1.	सेवानिवृत्त कार्मिक का नाम	
2.	पिता का नाम	
3.	जन्म तिथि	
4.	वर्तमान डाक का पता	
5.	स्थाई डाक का पता	
6.	मोबाईल नं. एवं ई-मेल आई.डी.	
7.	शैक्षणिक योग्यता	
8.	विशेष शैक्षणिक योग्यता (कम्प्यूटर ज्ञान)	
9.	मूल विभाग का नाम एवं पता	
10.	नियुक्ति तिथि	
11.	सेवानिवृत्ति तिथि	
12.	सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद का नाम जिस पद से सेवानिवृत्त हुए	
13.	सेवानिवृत्ति पर पे-बेण्ड एवं ग्रेड-पे/नवीन वेतन मान में लेवल	
14.	आवेदक 65 वर्ष से कम आयु का हो, शारीरिक एवं चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त हो, सेवाकाल के दौरान चिकित्सकीय आधार/प्रमाण पत्र के अनुसार स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति ली गई हो या जिन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त नहीं किया गया है या जिन्हें किसी अन्य रीति से दण्डित नहीं किया गया हो। इस आशय की अण्डरटेंकिंग संलग्न करें।	
15.	मूल पेंशन राशि (पीपीओ संलग्न करें)	
16.	मूल विभाग द्वारा विभागीय जांच/न्यायिक/	

	आपराधिक कार्यवाही में दण्डित किये जाने अथवा नहीं किये जाने बाबत विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र/अण्डरटैकिंग	
17	अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो जिसको आप पद हेतु अपनी उपयुक्ता के अनुसमर्थन में उल्लेखित करना चाहते हैं।	

**सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिए
वचनबंध**

मैं शपथ पूर्वक अभिपुष्टि करता हूँ कि ऊपर प्रस्तुत की गई सूचना पूर्ण रूप से सत्य है एवं मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही है।

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को लगाने के लिए राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.17(10)डीओपी/ए-11/94 दिनांक 08.02.2018 में दिये गये सहमत निर्बंधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बंधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

दिनांक

स्थान

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी
के हस्ताक्षर



राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर

2, 2ए, झालाना डूंगरी, जयपुर

दूरभाष नं. 0141-2700540 फ़ैक्स 0141-2710362

मण्डल में सेवानिवृत्त कार्मिकों की समेकित पारिश्रमिक पर आवश्यकता

राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल मुख्यालय जयपुर एवं जिला मुख्यालय स्थित वितरण केन्द्रों पर विभिन्न रिक्त पदों पर कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 08.02.2018 के अनुसार निर्धारित शर्तों एवं समेकित पारिश्रमिक पर कार्य करने हेतु विभिन्न राजकीय विभागों/बोर्ड/मण्डल/निगमों से समकक्ष पदों से सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों से दिनांक 09.11.2020 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों, ग्रेड-पे/लेवल का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स	रिक्त पद एवं स्थान का विवरण	रिक्त पदों की संभावित संख्या जिनके विरुद्ध सेवानिवृत्त कार्मिकों को रखा जाना है।	पे-बैंड	ग्रेड-पे/लेवल	समेकित पारिश्रमिक राशि प्रतिमाह (रूपयों में)
1	कार्यालय सहायक (मण्डल मुख्यालय जयपुर)	07	9300-34800	3600/L-10	12000/-
2	वरिष्ठ लिपिक (मण्डल मुख्यालय जयपुर)	08	5200-20200	2800/L-8	10400/-
3	सहायक कर्मचारी वितरण केन्द्र, 1. भरतपुर-1 2. सीकर-1 3. नागौर-1 4. झुन्झुनू-1 5. बाड़मेर-1 6. चित्तौड़गढ़-1 7. दौसा-1 8. हनुमानगढ़-1 9. जालौर-1 10. सवाई माधोपुर-1	10	5200-20200	1700/L-1	7400/-
	कुल योग	25			

नोट:- रिक्त पदों की संख्या में कार्य की आवश्यकतानुसार कमी/वृद्धि हो सकती है। उक्तानुसार सेवानिवृत्त कार्मिक प्रारम्भिक तौर पर अधिकतम 01 वर्ष के लिए रखे जायेंगे।

नियमित भर्ती, पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति से कार्मिक उपलब्ध होने, मण्डल को आवश्यकता न होने या संतोषजनक सेवा न पाये जाने पर ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिकों की पुनर्नियुक्ति समाप्त की जा सकेंगी।